



2026:AHC: 125098

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 11821/2025

सलीम अहमद

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता	: अभिषेक कुमार मिश्र, चंद्रकेश मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता, वैभव शांडिल्य

न्यायालय संख्या- 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री वैभव शाहदिल्या, प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता, तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री आशुतोष श्रीवास्तव को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-ए(2) के अंतर्गत यह आपराधिक अपील अपीलार्थी द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि विद्वान अपर जिला एवं न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एसटी. अधिनियम), जालौन अत उरई द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 126/2025, जो मुकदमा अपराध संख्या 179/2025, बी.एन.एस. की धाराओं 191(2), 103(1), 352, 351(2), 61(2)(ए) तथा एस.सी./एसटी. अधिनियम की धारा 3(2)(5), थाना कोतवाली कोंच, जनपद जालौन अत उरई से उत्पन्न हुआ है, में पारित जमानत निरस्तीकरण आदेश दिनांक 15.10.2025 को रद्द किया जाए।

अभियोजन का मामला यह है कि सूचनाकर्ता ने थाना कोतवाली कोंच, जनपद जालौन पर मुकदमा अपराध संख्या 179/2025 दर्ज कराते हुए यह आरोप लगाया कि उसके पिता की हत्या दिनांक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



09.08.2025 को कतिपय नामजद अभियुक्तों द्वारा अन्य सहयोगियों के साथ की गई। यह अभिकथित है कि घटना से पूर्व अभियुक्तगण ने मृतक को कई बार फोन कॉल किए, उसे गाली दी तथा धमकाया, और उसे जालौन रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर बुलाया। इसके पश्चात सूचनाकर्ता को मृतक के मोबाइल फोन से एक कॉल प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि उसके पिता को अस्पताल ले जाया गया है। जब सूचनाकर्ता तथा उसका परिवार अस्पताल पहुंचा, तो उन्होंने मृतक को मृत पाया। उन्होंने वहां उपस्थित व्यक्तियों में से एक कार तथा अमन सिंह उर्फ मिक्की को पहचाना। मृतक के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड की जांच करने पर सूचनाकर्ता को यह ज्ञात हुआ कि घटना से कुछ समय पूर्व अभियुक्तगण द्वारा कॉल किए गए थे। इस आधार पर उसने आरोप लगाया कि अभियुक्तगण ने षड्यंत्र के अग्रसरण में उसके पिता की हत्या की। तदनुसार, एफ.आई.आर. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 191(2), 103(1), 352, 351(2) तथा 61(2)(ए) के अंतर्गत दर्ज की गई। विवेचना के दौरान वर्तमान आवेदक का नाम भी सामने आया, तथा एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(5) जोड़ी गई। अभियोजन का दावा है कि आवेदक षड्यंत्र तथा अपराध कारित करने में संलिप्त था।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने अभिकथित अपराध कारित नहीं किया है तथा वह उस पर लगाए गए आरोपों से निर्दोष है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि संबंधित न्यायालय ने अभिकथित अपराध के समग्र तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विधि के अनुसार उचित विचार नहीं किया। अपीलार्थी को विषयगत मामले में झूठा फंसाया गया है। अपीलार्थी की अभिकथित अपराध में कोई भागीदारी अथवा संलिप्तता नहीं थी और वह किसी आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा नहीं था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी को अभिकथित एफ.आई.आर. में अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किया गया था। आवेदक का नाम एक चंद्रपाल सिंह के इकबालिया बयान में प्रकट किया गया था। चंद्रपाल सिंह, जिसने आवेदक का नाम दो अन्य सह-अभियुक्तों के साथ लिया तथा मृतक को थप्पड़ों और मुक्कों से मारने की सामान्य एवं सामूहिक भूमिका सौंपी। न ही एफ.आई.आर. में यह अभिकथित है कि अपराध पीड़ित के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होने के आधार पर कारित किया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(5) के अंतर्गत कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, न ही

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उसके विरुद्ध ऐसा कोई अपराध बनता है। यह प्रस्तुत किया गया कि अभिकथित अपराध चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थित नहीं है। परिवादी ने अपने बयानों में भी यह अभिकथित नहीं किया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध कारित किया गया। परिवादी, जो स्वीकारतः घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, ने अपने द्वारा दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. तथा पुलिस के समक्ष दिए गए बयानों के माध्यम से, जांच के दौरान अभियोजन की कहानी को असत्य सिद्ध कर दिया है। उक्त विवेचना के दौरान, अपीलार्थी के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(5) जोड़ी गई, जबकि इसके समर्थन में कोई विधिक रूप से स्वीकार्य या विश्वसनीय साक्ष्य नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी के सह-अभियुक्त, गोविंद सिंह को भी इस न्यायालय की समकक्ष खंडपीठ द्वारा दिनांक 26.2.2026 के आदेश द्वारा आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 44565/2025 (गोविंद सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में जमानत पर रिहा किया गया है। एक अन्य सह-अभियुक्त, अमन कुमार सिंह उर्फ मिक्की को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या 235/2026 (अमन कुमार सिंह उर्फ मिक्की बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा 3 अन्य) में, इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 12.3.2026 के आदेश द्वारा, आदेश की प्रमाणित प्रति की आपूर्ति की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल हिरासत से रिहा किए जाने का निर्देश दिया गया। आवेदक के अन्य सह-अभियुक्त, अजय सिंह उर्फ पंकज तथा रामप्रसाद अहिरवार को भी इस न्यायालय की समकक्ष खंडपीठ द्वारा क्रमशः आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 37589/2025 (अजय सिंह उर्फ पंकज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) तथा संख्या 36938/2025 (रामप्रसाद अहिरवार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में दिनांक 27.11.2025 के आदेश(आदेशों) द्वारा नियमित जमानत प्रदान की गई है। यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अपीलार्थी दिनांक 16.08.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। उपर्युक्त आधारों पर, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी विधि के अनुसार जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का प्रबल विरोध किया। प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के शरीर पर एक मांसपेशी-गहरी क्षत

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विक्षत चोट तथा चार संघातज सूजनें पाई गईं। मृत्यु का कारण मृतक द्वारा प्राप्त मरणासन्नपूर्व चोटों से उत्पन्न आघात तथा रक्तस्राव बताया गया है। यह भी बताया गया कि खोपड़ी के नीचे रक्तगुल्म (हिमेटोमा) पाया गया, बाईं ओर की 5वीं तथा 6वीं पसलियां भग्न पाई गईं, तथा मस्तिष्क में सबड्यूरल रक्तस्राव भी विद्यमान था। उक्त चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त पर लगाया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है, अतः अपीलार्थी जमानत पर रिहा किए जाने योग्य नहीं है। तथापि, जब अपीलार्थी की ओर से समानता (parity) के संबंध में की गई प्रस्तुतियों का सामना कराया गया, तो प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए.जी.ए. इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि सह-अभियुक्तगण को इस न्यायालय की समकक्ष खंडपीठों द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

वाद के तथ्यों तथा परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अपराध की प्रकृति, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, अपीलार्थी की अभिकथित संलिप्तता, तथा दोषसिद्धि की दशा में दंड की गंभीरता पर विचार करते हुए, यह न्यायालय पाता है कि अपीलार्थी ने जमानत प्रदान किए जाने हेतु मामला बना लिया है। यह न्यायालय इस तथ्य पर भी ध्यान देता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है तथा सह-अभियुक्तगण को इस न्यायालय की समकक्ष खंडपीठों द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। ऐसी कोई विभेदकारी परिस्थिति नहीं दिखाई गई है जिसके आधार पर अपीलार्थी को समानता का लाभ अस्वीकार किया जाए।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह न्यायालय इस मत का है कि संबंधित न्यायालय ने अपीलार्थी के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने में त्रुटि की है। आक्षेपित आदेश अवैधता तथा त्रुटि से ग्रस्त है और रद्द किए जाने योग्य है। तदनुसार, अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

तदनुसार, अपील **स्वीकार** की जाती है तथा अपीलार्थी के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने वाला आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है।

उपर्युक्त प्रकरण में संलिप्त **अपीलार्थी-सलीम अहमद** को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभूओं की प्रस्तुति पर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।

(i) अपीलार्थी विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) अपीलार्थी अभियोजन के गवाह को दबाव में नहीं डालेगा/धमकाएगा नहीं।

(iii) अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(iv) अपीलार्थी उस अपराध के समान कोई अपराध कारित नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप है, या जिसे कारित करने का उस पर संदेह है।

(v) अपीलार्थी मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ करने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा।

उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

3 जून, 2026

बृजेश-